

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पुल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====



क्रमांक - एफ 73-86 /20-3/2004

भोपाल, दिनांक -

30. 6. 2004

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय जावरा पब्लिक स्कूल, रतनाम रोड, जावरा, जिला रतनाम
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बन्धता हेतु
एन.ओ. सी. देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय जावरा पब्लिक स्कूल, रतनाम रोड, जावरा, रतनाम
को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण - पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (पररोक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नोतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परितर या भवन को आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा।

निरन्तर 2 पर.

जावरा, सि. डि. 8
जिला-रतनाम
बचक, जावरा
दिनांक

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

|| एम.एल.आर. ||
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठंकन क्रमांक एफ 73-86 /20-3/2004

भोपाल, दिनांक - 30.6.2004

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
 - ✓ 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - **रतलाम, म.प्र.**
 3. प्राचार्य, अज्ञात **बावरा पब्लिक स्कूल, रतलाम रोड, बावरा, जि. रतलाम**
 4. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेजित है।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग